संख्या- 78/2016/2529 ई-2/तेरह-2016-47/2003

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर,2016

विषय:-अल्कोहल वर्ष 2016-17 में अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-27/नौ-2015-16/अ0नि0/777/देश के बाहर, दिनांक 11 नवम्बर,2016, पत्र संख्या-जी-28/नौ-2015-16/अ0नि0/777/देश के बाहर, दिनांक 11 नवम्बर,2016, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 11 नवम्बर,2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 डी0एस0एम0 शुगर असमौली (डिस्टीलरी डिवीजन) असमौली, जनपद सम्भल तथा मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0 धामपुर, जनपद बिजनौर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2016-17 में क्रमश: 200,00,000(दो सौ लाख) तथा 200,00,000(दो सौ लाख) बल्क लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।